



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05102026-276803
CG-MH-E-05102026-276803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5108]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5108]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संघठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5315(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड- (ii), तारीख 16 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. 814, सा. का. नि. 900(अ) तारीख 16/12/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में "मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III A के अंतर्गत बोरीवली - विरार स्थानकों के दरम्यान पांचवीं और छठी रेलवे लाइन", की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने की आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम कि धारा 20 क की उपधारा (4) के अधिन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "पुण्य नगरी" (मराठी) व "हिंदुस्तान टाइम्स" (अंग्रेजी) में तारीख 21 जनवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, उक्त अधिनियम कि धारा 20 घ के अधीन कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं। और, उक्त अधिनियम कि धारा 20 ङ कि उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जित की जायेगी। और इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर पूर्णतः केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में तालुका ठाणे के अंतर्गत भायंदर गाव में, विशेष रेल परियोजना मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III A के अंतर्गत बोरीवली - विरार स्थानकों के दरम्यान पांचवीं और छठी रेलवे लाइन के लिये संरचनाओं सहित या बिना संरचनाओं के, अधिग्रहित की जा रही भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	गांव का नाम	भू मापण / गट / सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	भूधारक का नाम
1	भायंदर	न. भू.क्र. 1514 (स.नं. 349/1, 349/2)	0.94.79	0.02.25	नथमल गंगाधर अग्रवाल, जगदीश गंगाधर अग्रवाल, दामोदर गंगाधर अग्रवाल, कैलास गंगाधर अग्रवाल, कमल गंगाधर अग्रवाल, सत्यनारायण गंगाधर अग्रवाल, चिमलीदेवी गंगाधर अग्रवाल, दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट क. प्रा. लि. दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कं. प्रा. लि., असगरखान आझमखान पठाण, सलीमा अन्वरखान पठाण, शबाना अय्याजखान पठाण, नजमा अखतरखान पठाण, बदनूसीसा सलादीन मिर, झैबुन्नीसा अखतरखान पठाण, ताहेर शेख अब्दुल गफूर, नूरजहा जविदन खान, नईमा इम्तियाज कुरेशी, उताऊर रहिमान शेख अब्दुल गफूर, हकीयुर रहिमान शेख अब्दुल गफूर, मोहमदअली सर्कराजखान पठाण, कुदसिमा इस्माईल शेख, मुजफ्फर अली सर्कराजखान पठाण, कैज सर्कराज पठाण, कैयाज अहमद सर्कराजखान पठाण, कौसर अल्ताफ शेख, महंमद इब्राहिम शेख इस्माईल
2	भायंदर	न.भू.क्र. 1514 (स.नं. ३५०)	1.54.52	0.01.12	सलमा अन्वरखान पठाण, शबाना आयाझखान पठाण, नजमा अखतरखान पठाण, बदनूसीसा सलादीन मिर, झैबुन्नीसा अखतरखान पठाण, ताहेर शेख अब्दुल गफूर, नूरजहा जावेदन खान, नईमा इम्तियाज कुरेशी, उताऊर रहमान शेख अब्दुल गफूर, हफीसुर रहीमान शेख अब्दुल गफूर, महोमअली सर्फराज खान पठाण, कुदसिया इस्माइल

					शेख, मुजफर अली सर्फराज खान पठाण, फैज सर्फराज पठाण, फैय्याज अहमद सर्फराज खान पठाण, कौसर अल्ताफ शेख, दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कं. प्रा. लि. असगरखान आझमखान पठाण. मेसर्स तिरूपति डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के भागीदार: राजकुमार ओ. मुथा और प्रवीणकुमार यू. सांघवी
			कुल क्षेत्र	0.03.37	

[फा. सं. ई -25840-40]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th September, 2026

S.O. 5315(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), G.S.R. 900 (E) dated the 16th December 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), No. 814 dated 16th December 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **5th & 6th line between Borivali -Virar on Western Railway , under MUTP IIIA** in the district of Thane in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Punya Nagari” (Marathi) dated 21st January 2026 and “Hindustan Times” (English), under sub section (4) of section 20 A of the said Act. And whereas, no objections were received under Section 20 (D) of the said act, and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed. And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land being acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, 5th & 6th line between Borivali -Virar on Western Railway, under MUTP IIIA projects in Village Bhayander, Taluka and District Thane in the State of Maharashtra:

Sr. No.	Name Of the Village	City Survey No./ Survey No.	Total area as per 7/12 Extract (Hec.)	Acquired Area in Ha. Are. Sq. M.	Name of The Landowner
1	Bhayander	CTS 1514 (Old Gat No. 349/1, 349/2)	0.94.79	0.02.25	Nathmal Gangadhar Aggarwal, Jagadish Gangadhar Aggarwal, Damodar Gangadhar Aggarwal, Kailas Gangadhar Aggarwal, Kamal Gangadhar Aggarwal, Satyanarayan Gangadhar Aggarwal, Chimlidevi Gangadhar Aggarwal, The Estate Investment Company Pvt. Ltd., The Estate Investment Company Pvt. Ltd., Asgarkhan Azam Khan Pathan, Salima Anwar Khan Pathan, Shayana Ayyaz Khan Pathan, Najma Akhtar Khan Pathan, Baddnisa Saladdin Mir, Zebunisa AkhtarKhan Pathan, Taher Sheikh Abdul Gafoor Noorjana Javidan Khan, Naima Imtiaz Qureshi, Utaur Rahman Shaikh Abdul Ghafoor, Haqibur Rahman Shaikh Abdul Ghafoor, MohammadAli Sarkarraj Khan Pathan, Qudsima Ismail Sheikh, MuzaffarAli Sarkarraj Khan Pathan, Faiz Sarkarraj Pathan Kaiyaz Ahmed Sarfraz Khan Pathan, Kausar Altaf Sheikh, Muhammad Ibrahim Sheikh Ismail.
2	Bhayander	CTS 1514 (Old Gat No. 350)	1.54.52	0.01.12	Salma Anwarkhan Pathan, Shabana Ayaz Khan Pathan Najma AkhtarKhan Pathan, Badunnisa Saladdin Mir, Zebunnisa AkhtarKhan Pathan, Taher Sheikh Abdul Ghafoor, Nurjaha Javed Khan, Naima Imtimaz Qureshi, Utaur Rahman Shaikh Abdul Ghafoor, Hafisur Rahman Shaikh Abdul Ghafoor, Mahomali Sarfraz Khan Pathan, Kudsima Ismail Sheikh, Muzaffar Ali Sarfaraz Khan Pathan, Faiz Sarfaraz Pathan, Faiyaz Ahmed Sarfaraz Khan Pathan, Kausar Altaf Shaikh, The Estate Investment Company Pvt. Ltd.; Asgarkhan Azamkhan Pathan, Partners of M/s Tirupati Developers & Builders: Rajkumar A. Mutha, Pravinkumar U. Sanghvi.
			Total Area	0.03.37	

[F. No. E-25840-40]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Construction)- I